ई–मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202122, दूरभाष–0571–2960088)

पत्रांक २९१२ /14–1 अलीगढ, दिनाँक, अप्रैलः २७ ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड (एन0एच0–80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0–30 ग्राम–दौलतादाबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/26736/2017)**

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्रांक पी–98/81–2–2019–800(144)/2019 दिनांक 19.12.2019, आपका पत्रांक 1240/11–सी–FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 20.12.2019, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक–4153/14–10दिनांक 19.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों निराकरण कर, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के सन्दर्भित पत्र से वॉच्छित अभिलेख/सूचना संलग्न कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो कि संस्तुति सहित निम्न प्रकार बिन्दुबार आख्या 03 प्रति में संलग्न कर प्रेषित है–

क0सं0	Objection	Reply
1	प्रस्ताव के भाग–2, भाग–3 एवं भाग–4 में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत संस्तुति नहीं की गयी है।	प्रस्ताव की कार्योपरान्त स्वीकृति (Expost Facto) के अन्तर्गत संस्तुति कर, Letter of Recommendation की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है कि उल्लंघन कब से किया गया है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण, कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2013 में अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन), अलीगढ़ के पत्र सं0 1284/जि0पू0अ0/ एन0ओ0सी0/13 दिनांक 25.11.2013 द्वारा निर्गत अनुमति के आधार पर किया गया है। उक्त हेतु साक्ष्य संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 54, 56 पर प्रयोक्ता का हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 54 व 56 पर रक्षित प्रमाण पत्रों पर प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं। **(संलग्नक–3 व 4)**
4	पृष्ठ सं0 55 पर रक्षित Site Inspection Report के मध्य बिन्दु–ए और बी के संबंध में कथन रिक्त किया गया है।	पृष्ठ सं0 55 पर रक्षित Site Inspection Report के मध्य बिन्दु–ए और बी के संबंध में कथन अंकित कर, Site Inspection Report की प्रति, प्रमाणित करके संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

Scanned with CamScanner

5	उल्लंघन के संबंध में Inspecting Officer के जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है।	उल्लंघन के संबंध में Inspecting Officer की जांच रिपोर्ट संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
6	पृष्ठ सं0 57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी को नोटिस दी गयी है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही किये जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि उक्त अवधि समाप्त हो गयी है परंतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 60 दिनों में अपना पक्ष रखा गया है कि नहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।	पृष्ठ सं0 57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को दिये गये नोटिस का उत्तर 60 दिनों में नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 15.09.2021 द्वारा निर्गत नोटिस में अपना पक्ष प्रेषित किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
7	प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 32/33 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाये जाने का कथन किया गया है। विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुए, रेंज केस इजरा किया गया है परंतु किसी तरह का प्रतिकर लिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 32/33 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप, विभिन्न धाराओं में इजरा केस संख्या–23/अलीगढ़/2017–18 दिनांक 07.09.2017 जो कि वाद संख्या 7370/2018 में मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के यहाँ रसीद संख्या 0459841 दिनांक 12.03.2022 को द्वारा रू0 1000.00 अर्थदण्ड अदा कर वाद का निस्तारण किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4 अ, ब)**
8	पृश्ठ सं0 73 पर रक्षित ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति अपेक्षित है ?	ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–5)**
9	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उल्लंघन किया गया अथवा प्रस्तुत करने से पहले ?	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रेषण से पहले उल्लंघन किया गया है एवं उल्लंघन के पश्चात् Expost Facto अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

27/04/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़, एन0एच0–24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Local D/Dman/Land Trsfr/Aligarh/Proposal no. FP UP Others 26736 of 2017 Daulatabad

Scanned with CamScanner